

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

प्रारूप ख-प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी को आवास-2022) के तहत स्लम पुनर्विकास विकल्प के अलावा अन्य विकल्पों हेतु लाभार्थी से मांगे जाने वाली सूचना

1. परिवार का मुखिया का नाम
2. लिंग (पुरुष-01 महिला-02, उभयलिंगी-03)
3. पिता / पति का नाम
4. परिवार की मुखिया की आयु
5. वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा
 - (i) वार्ड नं०
 - (ii) मकान/फ्लैट/द्वार सं०
 - (iii) गली/मौहल्ले का नाम
 - (iv) स्थानीय निकाय
 - (v) मोबाईल संख्या
6. स्थाई पता
 - (i) मकान/फ्लैट/द्वार सं०
 - (ii) गली/मौहल्ले का नाम
 - (iii) शहर/गाँव
 - (iv) जिला, राज्य
7. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा
(स्वामित्व-01, किराया-02, अन्य-03)
8. छत के आधार पर मकान का प्रकार

[पक्का (सीमेंट, कंक्रीट और पत्थर वाला)-01,
अर्द्ध-पक्का (सीमेंट की चादर/स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)-02 कच्चा (घास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)-03]
9. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या
10. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र)

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

11. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान सं० अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र

12. धर्म

[हिन्दु-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिख-04, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य (उल्लेख करें)]

13. जाति

[सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]

14. बैंक का ब्यौरा

- क. बैंक खाता संख्या
ख. बैंक और शाखा का नाम
ग. आई.एफ.एस.सी. कोड

15. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या

(0 से 1 वर्ष-01, 1 से 3 वर्ष-02, 3 से 5 वर्ष-03, 5 वर्ष से अधिक-04)

16. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्गमीटर में)

17. क्या विकलांग हैं (हां/नहीं)

18. वैवाहिक स्थिति-

(विवाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)

19. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है ? (हां/नहीं)

- ग. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।
(बस्ती/शहर/राज्य)
घ. यदि हां, तो वर्गमीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

20. रोजगार की स्थिति
(स्व-रोजगार-01, वेतनभोगी-02, नियमित मजदूरी-03, मजदूर-04, अन्य-05)
21. परिवार की औसत मासिक आय (रूपये में)
22. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां/नहीं)
क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।
23. परिवार की आवास आवश्यकता
(नया घर-01, वृद्धि-02)
24. आवास वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।
[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]
25. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है
- (i) ऋण से जुड़ी सब्सिडी-01
(15 वर्ष के लिए ₹ 6.00 लाख की धनराशि के ऋण हेतु 6.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देय)
- (ii) भागीदारी में किफायती आवास-02
(आवास के विक्रय मूल्य पर ₹ 2.50 लाख की अनुदान राशि देय)
- (iii) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण-03
(₹ 2.50 लाख की अनुदान राशि देय)
- (iv) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास विस्तार-04
(₹ 2.50 लाख की अधिकतम अनुदान राशि देय)
26. संक्षिप्त आवास सूची टीआईएन (एसईसीसी से)
(क्या सहायता लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार के अन्तर्गत है)
- परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
- नोट :-अपान्न स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा, जिनके लिए "सभी के लिए आवास" कार्य योजना (एचएफएपीओए) स्कीम के दिशा निर्देशों के पृष्ठ संख्या-13 पर प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना के पलो-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।
- उपर्युक्त सूचना पर शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर